हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की वर्ष 2017–18 व 2018–19 की ऑडिट आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में अनुपालन आख्याः–

आपत्ति/ मेमो संख्या	आपत्ति का विवरण	अनुपालन आख्या/ विभाग का उत्तर
1	लेखा परीक्षा कार्य हेतु प्रमुखता के आधार पर वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। जिससे निर्धारित समयावधि में ही सम्परीक्षा कार्य को समाप्त किया जा सके।	उक्त मेमो संख्या 01 के अनुपालन में बिन्दु संख्या 01 से 23 तक उल्लिखित वांछित अभिलेख/पत्रावलियां सम्परीक्षा के दौरान सम्परीक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अवलोकित कराये गये।
2	लेखा परीक्षा कार्य हेतु प्रमुखता के आधार पर वर्ष 2017–18 एंव 2018–19 से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधियाच–1 निर्गत किया गया था जिसे प्राथमिकता के आधार पर सम्परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।	उक्त मेमो संख्या 02 के कम में वांछित अभिलेख/ पत्रावलियां सम्परीक्षा के दौरान सम्परीक्षा दल/ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अवलोकित कराये गये।
3	निम्नांकित अभिलेख प्राथमिकता के आधार पर अधिप्राप्ति नियमावली के सन्दर्भ में संरक्षित भण्डार पंजिका, मानचित्र शुल्क के साथ ली जाने वाली धनराशि रू0. 35 के सम्बन्ध में बोर्ड प्रस्ताव आदेश/शासनादेश, आनलाईन मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु बनाये साफ्टवेयर निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली, निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली माप पुस्तिका एंव इससे सम्बन्धित रिकार्ड माप उपलब्ध कराया जाना सुनश्चित किया जाय।	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या संख्या 4697 दिनांक 19.10.2004 के अन्तर्गत मानचित्र आवेदन शुल्क के साथ रू0. 35–00 कार्यालय स्टेशनरी व्यय हेतु लिए जाने के निर्देश तत्कालीन उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये। जिसके कम में उक्त धनराशि दिनांक 07.09.2000 से ही मानचित्र शुल्क के साथ प्राधिकरण कोष में जमा करायी जा रही है। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**
4	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर–71, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रस्तर–70 मे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्धों को ध्यान में रखकर अधिप्राप्ति/कय से सम्बन्धित दस्तावेज कम से कम 20 वर्ष रखें जायें और अधिप्राप्ति के उद्धरण अनुलग्नक–05 में दिये गये प्रारूप में रखें जायें। यह रजिस्टर , विभिन्न प्राविधानों के अधीन विहित भण्डार खाते, लेखन सामग्री रजिस्टर आदि से भिन्न होगा का प्राविधान है। प्राधिकरण द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। अनुपालन नहीं किये जाने के कारणों से अवगत कराया जाय। साथ ही अधिप्राप्ति के उद्धरण अनुलग्नक 05 में दिये गये प्रारूप में अधिप्राप्ति का विवरण रखा जाना सुनिश्चित किया जाय।	उक्त के कम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अन्तर्ग कय की गयी सामग्री तथा कराये जा रहे कार्यों की पंजीकायें कार्यालय में उपलब्ध हैं जिनकों सम्परीक्षा के दौरान सम्परीक्षा दल/अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अवलोकित कराये गये। अधिप्राप्ति के उद्धरण के प्रारूप के अनुसार वर्ष 2019–20 से तैयार कर लिया गया है। जिसे सम्परीक्षा के दौरान सम्परीक्षा दल को अवलोकित करा दिया गया है। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**

विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी

पंकज पाठक
सहायक अभियन्ता

वीरेन्द्र कुमार
मुख्य वित्त अधिकारी

5	प्राधिकरण द्वारा स्थायी प्रकृति की सामग्रियों की प्राविष्टीयां भण्डार पंजिका में की गयी थी। परन्तु उसका भौतिक सत्यापन वर्ष 2018–19 में नहीं किया गया है। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–04 में दिये गये नियमों के अनुसार कृत सामग्री का अंकन तथा अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर–76 एंव अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रस्तर–75 के अनुसार रजिस्टर में उल्लिखित अस्तियों/सामग्रियों की उपलब्धता और पुरानी और निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण हेतु कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी या उसके नामिती द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च को वार्षिक सत्यापन किया जायेगा का उल्लेख है का पालन प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया हैं। वार्षिक/भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पजीकाओं का सत्यापन वर्ष 2017–18 तक नियमानुसार कराया गया है। संदर्भित अवधि वर्ष 2018–19 में कार्यालय में उपलब्ध सामग्री का सत्यापन समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के सामान्य लोक सभा निर्वाचन–2019 में व्यस्त होने के कारण पूर्ण नहीं कराया जा सका। वर्तमान में कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा रहा है। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**
6	प्राधिकरण द्वारा निर्गत भवन मानचित्र पत्रावलियों की जांच में पाया गया की 300 वर्ग मी0 से अधिक के भूखण्डों पर प्राधिकरण द्वारा शहरी विकास/आवास अनुभाग के शासनादेश संख्या 4697 दिनांक 19.10.2004 द्वारा राज्य के विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों का निर्धारण किया गया था। के परिशिष्ट 1(1.1) (क) आवासीय उपयोग के अन्तर्गत आवासीय भवन हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल 100 वर्ग मी0 तक रू0. 100, 101 से 200 वर्ग मी0 तक रू0 200 तथा 201 से 300 वर्ग मी0 तथा उसके प्श्चात् रू0. 2.00 प्रतिवर्ग मी0 कीदर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो लिए जाने का प्राविधान था, से कम भवन मानचित्र आवेदन शुल्क लिया गया है, जिससे प्राधिकरण को आलोच्य अवधि में रू0. 21,932. 12 की आर्थिक क्षति हुई थी। सम्परीक्षा में चयनित माहों एंव अन्य माहों में निम्नवत कम भवन मानचित्र आवेदन शुल्क प्राप्त किया गया था। का विवरण निम्नवत है।	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश के अनुसार निर्धारित क्षेत्रफल सीमा से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल पर रू0. 2/– प्रति वर्ग मी0 की दर से शुल्क लिए जाने का प्राविधान है। जिसके अनुसार मानचित्र आवेदन शुल्क लिये गये हैं। इसी प्रकिृया के अनुसार प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों द्वारा भी मानचित्र शुल्क लिए जा रहे हैं। अवगत कराना है कि आयकर देयता में भी दरों का निर्धारण भी स्लैब के अनुसार ही किया जाता है। उक्त नियम के अन्तर्गत ही प्राधिकरण में मानचित्र शुल्क जमा कराये जा रहे हैं, जो नियमानुसार है। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**
7	सम्परीक्षा में निम्नांकित आदेश/प्राविधान एवं अभिलेख प्रस्तुत करने का कष्ट करें । 1. हरिद्वार विकास प्राधिकरण को लोक निर्माण संगठन मान्यता नामित किये जाने सम्बन्धी आदेश/प्राविधान। 2. **PWD SOR-2012, DSR-2012** वर्ष 2012–13 में कराये गये कार्यों की प्राक्कलन में प्रयुक्त **SOR** 3. लक्सर से सम्बन्धित पत्रावलियां। 4. इन्द्रलोक आवासीय योजना में 96 भवनों का निर्माण में निविदा के समय आगणन पुनरीक्षित किया गया है। निविदा प्रस्ताव प्राप्त हाने के उपरान्त इस तरह की जांच या पुनरीक्षण अन्य कार्यों में भी किया गया हो तो सम्बन्धित पत्रावली।	उक्त के अनुपालन में बिन्दु संख्या 01 से 04 तक उल्लिखित वांछित अभिलेख/पत्रावलियां सम्परीक्षा के दौरान सम्परीक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अवलोकित कराये गये।

विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी

अंकज पाठक
सहायक अभियन्ता

बीरेन्द्र कुमार
मुख्य वित्त अधिकारी

8	भवन मानचित्र पत्रावलियों की जांच में पाया गया की प्राधिकरण द्वारा शहरी विकास/ आवास अनुभाग के शासनादेश संख्या 4697 दिनांक 19.10.2004 द्वारा राज्य के विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों का निर्धारण किया गया था के साथ विविध शुल्क के रूप में रू0. 35–00 प्रति मानचित्र के रूप में बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के वसूल किया जा रहा है उक्त के सम्बन्ध में अधियाचन–3 निर्गत कर बोर्ड प्रस्ताव आदेश/शासनादेश सम्परीक्षा में प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु कोई अभिलेख उक्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत नहीं किया गया। वसूल की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या संख्या 4697 दिनांक 19.10.2004 के अन्तर्गत मानचित्र आवेदन शुल्क के साथ रू0. 35–00 कार्यालय स्टेशनरी व्यय हेतु जमा कराये जाने का अनुमोदन तत्कालीन उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया। जिसके कम में उक्त धनराशि दिनांक 07.09.2000 से मानचित्र शुल्क के साथ प्राधिकरण कोष में जमा करायी जा रही है। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**
9	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 के निर्माण एंव विकास कार्य हेतु तत्कालीन अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनांक 13.10.10 के अनुसार कन्स्ट्रक्शन एंव डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम लि0 का चयन किया गया था। चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा योजना के निर्माण एंव विकास कार्य हेतु डी0पी0आर0 पर अधिकांश कार्य किया जा चुका था, किन्तु उसके उपरान्त चयनित संस्था द्वारा योजना में अपेक्षित अभिरूचि न दिखाने के कारण प्राधिकरण द्वारा चयन निरस्त किया गया। तत्कालीन माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनांक 16.12.16 के द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में चयन किया गया तथा डी0पी0आर0 आदि तैयार किये जाने हेतु चैक संख्या 30172 दिनांक 04.01.17 को रू0. 98.00 लाख (रू0. 1.00 करोड से 02 प्रतिशत आयकर की कटौती करते हुए) भुगतान किया गया था। वित्त अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163/22.05.2008 तथा शासनादेश संख्या 475 दिनांक 15 दिसम्बर 2008 के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं से कार्य कराये जाने पर दोनों पक्षकारों के मध्य समझौता ज्ञापन किये जाने का प्राविधान है। का पालन न कर अग्रिम धनराशि दिया गया था। पुनः कार्यदायी संस्था के सम्बन्ध में निर्णय बदलने के उपरान्त रू0. 98.00 वापस होना था उपलब्ध अभिलेखानुसार उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया था। प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 1602 दिनांक 16.08.17 रू0. 58.00 लाख की वापसी यह कहते हुए की गयी तथा रू0. 40.00 लाख का समायोजन **ARCHITECTURAL CONSULTANCY FEE** के रूप में किया गय है। सम्परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किन किन कार्य हेतु किस दर से **CONSULTANCY FEE** का भुगतान उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया गया	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के कम में कार्यदायी संस्था का चयन किया गया। चयन उपरान्त प्रारम्भिक रूप में रू0. 98–00 लाख का भुगतान उत्तर प्रदेश राजीकय निर्माण निगम (**UPRNN**) को किया गया। पुनः बोर्ड द्वारा अन्य कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के उपरान्त **UPRNN** को भुगतान की गयी धनराशि की वसूली की कार्यवाही की गयी। जिसके कम में **UPRNN** द्वारा रू0. 58–00 लाख की धनराशि वापस की गयी तथा शेष धनराशि को वास्तुविद कन्सलटैन्सी फीस के रूप में व्यय होना सूचित किया गया। प्राधिकरण उक्त भुगतान से सहमत नहीं है। प्राधिकरण द्वारा **UPRNN** से आर्किटेक्ट के साथ किये गये अनुबन्ध तथा उनकी दरों का विवरण मांगा जा रहा है। जो **UPRNN** द्वारा अभीतक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी कम में **UPRNN** को कार्यालय पत्र संख्या 973 दिनांक 22.08.19 द्वारा पुनः सूचित किया गया है। उपरोक्तानुसार **UPRNN** से वसूली का कार्यवाही की जा रही है। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**

विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी

पंकज पाठक
सहायक अभियन्ता

बीरेन्द्र कुमार
मुख्य वित्त अधिकारी

	था। उपलब्ध अभिलेखानुसार संदर्भित कार्य का कोई सार्थक उपयोग संस्था द्वारा नहीं किया गथा था न ही प्रस्तावित था। अतः प्राधिकरण द्वारा रू0. 40.00 लाख निरर्थक व्यय किया गया था।	
10	प्राधिकरण में नवीं मानचित्र से सम्बन्धित शुल्क की धनराशि को एक्सिस बैंक खाता संख्या 358010100025513 में आवेदित मानचित्रकर्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किया जा रहा था। बैंक स्टेटमैन्ट की जांच में पाया गया की कतिपय आवेदनकर्ताओं द्वारा रू0. 2.00 लाख से अधिक धनराशि नकद जमा किया गया था। जबकि आयकर अधिनियम 2017 की नई धारा 569 **ST** के अनुसार नकद भुगतान किये जाने की सीमा रू0. 2.00 लाख निर्धारित की गयी है। कतिपय उदाहरण निम्नवत् हैः –	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मानचित्र आवेदकों द्वारा मानचित्र शुल्क सम्बन्धी धनराशि एक्सिज बैक हरिद्वार में जमा करायी जा रही है। जिसमें कतिपय कुछ मानचित्र आवेदकों द्वारा रू0. 2.00 लाख से अधिक की धनराशि प्राधिकरण कोष में बैंक के माध्यम से जमा करायी गयी है। भविष्य में रू0. 2.00 लाख से अधिक धनराशि नकद के रूप में जमा न कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या 1043 दिनांक 29.08.2019 द्वारा सम्बन्धित बैंक को निर्देशित किया जा चुका है। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**
11	प्राधिकरण द्वारा उपविभाजन शुल्क (सब डिवीजन शुल्क) सम्पूर्ण भूखण्ड क्षेत्रफल पर न लेकर सडक चौडीकरण क्षेत्र को कम करते हुए शेष भूखण्ड क्षेत्रफल पर आगणन कर लिया गया था, जिससे चौडीकरण क्षेत्र को कम करते हुए उपविभाजन शुल्क लिए जाने से प्राधिकरण को चयनित माहों में रू0. 3,43,732 आर्थिक क्षति हुई थी, उदाहरण निम्नवत् हैः–	प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महायोजना एंव भवन उपविधि के नियम एंव उपनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित चौडाई में मार्ग उपलब्ध नह होने की दशा में आवेदक के भूखण्ड से वांछित चौडाई में मार्गाधिकार क्षेत्रफल छुडवाया जाता है। छोडे गये क्षेत्रफल के उपरान्त ही वास्तविक भूखण्ड क्षेत्रफल के आधार पर भवन की तकनीकी जांच करते हुए शुल्कों का निर्धारण किया जाता है। चूंकि मार्गाधिकार छोडने के उपरान्त भूखण्ड क्षेत्रफल कम हो जाता है। इसी कारण उपविभाजन शुल्क का निर्धारण किया जाता है। जो उचित हैं क्योंकि मार्गाधिकार में किसी भी प्रकार के गतिविधि अनुमन्य नहीं होती है। अतः इसपर शुल्क लिया जाना भी अनुचित है। प्रदेश के अन्य समस्त प्राधिकरणों में भी इसी प्रकिृया के अन्तर्गत शुल्कों का निर्धारण किया जाता है। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**
12	इन्द्रलोक आवासीय योजना 96 **2BHK** भवन निर्माण के सम्बन्ध में निम्न स्थिति से सम्परीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित हैः– 1. वर्तमान में भौतिक प्रगति की स्थिति (साक्ष्य सहित) 2. प्रति भवन का प्रारम्भिक प्रस्तावित मूल्य। 3. प्रति भवन का वर्तमान प्रस्तावित मूल्य। 4. पंजीकरण की स्थिति। 5. आवंटन/विकय की स्थिति।	उक्त के कम में बिन्दु संख्या 01 से 05 तक के सम्बन्धित अभिलेख सम्परीक्षा के दौरान सम्परीक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए अवलोकित कराये गये तथा इन्द्रलोक आवासीय योजना 96 **2BHK** भवन निर्माण के सम्बन्ध में वर्तमान वस्तु स्थिति स्पष्ट करा दी गयी है। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**

विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी

पंकज पाठक
सहायक अभियन्ता

बीरेन्द्र कुमार
मुख्य वित्त अधिकारी

13	अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर–12(2) एंव 2017 के प्रस्तर–9(2) की व्यवस्थानुसार सामग्री/निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति हेतु निविदा के सम्बन्ध में न्यूनतम तीन वैध निविदा प्रस्ताव आवश्यक था। किन्तु संस्था द्वारा अग्रांकित विवरणानुसार इसका पालन नहीं किया गया तथा दो प्रस्तावों के आधार पर ही निविदा निर्णित की गयी। यह नियमानुसार नहीं था।	प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिप्राप्ति नियमावली के बिन्दु सख्या 9(2) सीमित निविदा पृच्छा विषयक है। जबकि सम्परीक्षा द्वारा उल्लिखित बिन्दु में कार्य सीमित पृच्छा के अन्तर्गत नहीं कराया गया है। प्रश्नगत निविदायें 02 निविदा प्रणाली के माध्यम से ई–टेण्डर के माध्यम से सम्पादित करायी गयी हैं। आधिप्राप्ति नियमावली 2017 के बिन्दु संख्या 16 के अनुसार एक निविदा प्राप्त होने की दशा में उसे निरस्त कर पुनः निविदा किये जाने का प्राविधान है। जबकि प्ररकण में 02 निविदायें प्राप्त हैं। जिसका उल्लेख निविदा समिति द्वारा निविदा स्वीकृति की टिप्पणी में भी किया गया है। इस प्रकार अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन करते हुए निविदा कार्य सम्पादित कराया गया। जो नियमानुसार है। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**
14	अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर–21(1) एंव अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रस्तर–17 (1), 44(ख)(ग) की व्यवस्थानुसार संविदा के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदादाता से अनुबन्ध में निहित मूल्य को दृष्टि में रखते हुए **5%** से **10%** तक की राशि कार्यपूर्ति धरोहर (कार्यपूर्ति गारण्टी–संविदा मूल्य का **5%** प्रतिभूति निक्षेप–संविदा मूल्य का **5%**) ली जानी थी किन्तु संस्था द्वारा अनुबन्ध/कार्य की राशि में वृद्धि होने पर संस्था द्वारा बढी हुई धनराशि पर केवल **5%** जमानत राशि ली जा रही थी। इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था कतिपय उदाहरण निम्नवत् हैः– स्थिति एवं औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।	प्रश्नगत बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के बिन्दु संख्या 17 में कार्यपूर्ति प्रतिभूति अनुबन्ध में निहित राशि के **5%** से **10%** तक लिए जाने का प्राविधान है। प्राधिकरण द्वारा अनुबन्धित कार्यों में **2%** धरोहर राशि, कार्यपूर्ति प्रतिभूति **5%** तथा चलित देयकों से **5%** जमानत राशि की कटौती सहित कुल **12%** की धनराशि संरक्षित की जाती है। जिसमें से कार्यपूर्ति प्रतिभूति **5%** कार्य के अन्तिम देयक के उपरान्त अवमुक्त की जाती है। शेष **7%** की धनराशि नियमानुसार जतानत अवधि पूर्ण होने के उपरान्त अवमुक्त की जाती है। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा अनुबन्धित कार्यों में अधिप्राप्ति नियमावली का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**
15	निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन में पाया गया की स्वीकृत अनुबन्ध में वृद्धि होने के कारण अत्यधिक विचलन होने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त नहीं किया गया था। जबकि उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) का प्रख्यापन के भाग–2 अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकार विवरण पत्र–3 के प्रस्तर–4 स्वीकृत मूल आगणन में हुए व्ययाधिक्य की स्वीकृति के अनुसार निम्न सीमान्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता था। **प्रशासकीय विभाग 15% से अधिक(वित्त विभाग की सहमति से)** **मुख्य अभियन्ता 7.5%से 15% की सीमा तक** **अधीक्षण 5%से 7.5% की सीमा तक** **अधि0अभि0 5% की सीमा तक** स्थिति एंव औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।	प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण एक स्वायत्तशासी संस्था हैं। जिसमें वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में समस्त अधिकार उपाध्यक्ष में निहित है। प्राधिकरण द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में 02 स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाती है। 03. अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों में अध्यक्ष/आयुक्त स्तर से। 04. प्राधिकरण की योजनाओं सम्बन्धी स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से उपाध्यक्ष स्तर से। उपरोक्त कार्यों में विचलन आदि होने पर उसके स्वीकृति अधिकारी उपाध्यक्ष होते हैं। जिनसे स्वीकृति प्राप्त की जाती है। प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी भी अधिकारी को कोई वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं हैं। संदर्भित कार्यों में सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त है। जिसका अवलोकन सम्परीक्षा के दौरान सम्परीक्षा दल को कराया गया है। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**

विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी

पंकज पाठक
सहायक अभियन्ता

बीरेन्द्र कुमार
मुख्य वित्त अधिकारी

16	प्रमाणक की जांच में पाया गया की प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार संस्थाओं को धनराशि प्रदान की गयी थी जिनका प्राधिकरण से कोई सम्बन्ध नहीं था, कतिपय उदाहरण निम्नवत् हैः– 03. **IIT** रूडकी को थोमसो हेतु रू0. 1.00 लाख की स्पोन्सरशिप 04. गढवाल मण्डल विकास निगम देहरादून को योग सप्ताह दिवस हेतु रू0. 3.00 लाख की स्पोन्सरशिप	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि तत्समय सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त उक्त धनराशि स्पोन्सरशिप के रूप में सम्बन्धित संस्थाओं को दी गयी। उक्त आपत्ति के क्रम में भविष्य हेतु नोट किया गया। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है ।**
17	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड –06 के पैरा–318 तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008, 2015 यथा संशोधित 2017 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने से पूर्व प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति आवश्यक है। इसी क्रम में वित्तीय अधिकारों में प्रतिनिधायन 2010 के विवरण पत्र–5 के प्रस्तर–3 में एक करोड तक लागत वाले प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति के लिए अधिशासी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है। किन्तु लेखापरीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्राधिकरण में निर्माण कार्यों में इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जो कि आपत्तिजनक है। कार्यों का विवरण निम्नवत है। स्थिति एवं औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण में निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित 02 स्तर हैं। 01.अवस्थापना कार्यों में अध्यक्ष/आयुक्त स्तर से। 02. प्राधिकरण की योजनाओं सम्बन्धी स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से उपाध्यक्ष स्तर से। प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी भी अधिकारी को कोई वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं हैं। जहां तक तकनीकी स्वीकृति का प्रश्न हैं प्राधिकरण में उपलब्ध उच्चतम तकनीकी अधिकारी की संस्तुति पर ही कार्यों का प्रस्ताव सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करते हुए ही स्वीकृति प्राप्त की जाती है। सम्परीक्षा दर द्वारा इंगित नियम सम्पूर्ण रूप से तकनीकी विभागों पर ही लागू होता है। अतः संदर्भित प्रकरणों में उपलब्ध उच्चतम तकनीकी अधिकारी की संस्तुति पर ही सक्षम स्तर से ही कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**
18	संस्था द्वारा **surveying and making of rishikesh development area** कार्य के लिए निविदा के माध्यम से **Ce info System Pvt Ltd** को **Consultant** नियुक्त किया गया था। दिनांक 12.06.2012 को हस्ताक्षरित अनुबन्ध की शर्तानुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह थी। इसके उपरान्त 04 सप्ताह की अवधि विस्तार अनुमन्य किया जा सकता था। तदोपरान्त अवधि विस्तार अगले 03 सप्ताह तक **1%** (अवशेष भुगतान का) प्रति सप्ताह तथा तदोपरान्त **2%** प्रति सप्ताह आर्थिक दण्ड के साथ किया जा सकता था। इसी प्रकार हरिद्वार मास्टर प्लान 2025 का जोनल डेवलपमैन्ट प्लान तैयार करने के लिए न्यूनतम निविदा प्रस्ताव के आधार पर **Feed Back infra privete ltd.** को कन्सलटेन्ट नियुक्त किया गया था। सम्बन्धित अनुबन्ध के अनुसार कार्य आरम्भ की तिथि 01.08.13 थी तथा जोनल प्लान 40 सप्ताह में पूर्ण किया जाना था इसके पश्चात 04 सप्ताह अनुरोध के आधार पर तत्पश्चात् 03 सप्ताह तक **1%** प्रति सप्ताह विलम्ब दण्ड के साथ एवं तत्पश्चात् **2%** प्रतिसप्ताह विलम्ब दण्ड के साथ समय विस्तार किया जाना था। उपलब्ध अभिलेखानुसार उक्त शर्तानुसार कार्यवाही नहीं की गयी एंव सम्बन्धित फर्मों से विलम्ब दण्ड की राशि वसूल की गयी।	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा ऋषिकेश महायोजना–2031 के सर्वे हेतु निविदा के माध्यम से मैसर्स **Ce info System Pvt Ltd dks Consutant** नियुक्त किया गया। इसी प्रकार हरिद्वार महायोजना–2025 का जोनल डेवलेपमैन्ट प्लान तैयार करने हेतु न्यूनतम निविदादाता फर्म मैसर्स **Feed Back Infra Private Ltd.** को नियुक्त किया गया। न्यूनतम प्रस्ताव के आधार पर कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक 01.08.2013 नियत थी। जिसपर विलम्ब शुल्क नहीं लिया गया। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त कार्य नियोजन विभाग के स्तर पर ही निष्पादित कराया गया। जिसपर नियोजन विभाग स्तर पर ही विलम्ब हुआ है। उक्त परिस्थिति में विलम्ब शुल्क लिए जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**

विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी

पंकज पाठक
सहायक अभियन्ता

बीरेन्द्र कुमार
मुख्य वित्त अधिकारी

17	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड –06 के पैरा–318 तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008, 2015 यथा संशोधित 2017 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये जाने से पूर्व प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति आवश्यक है। इसी कम में वित्तीय अधिकारों में प्रतिनिधायन 2010 के विवरण पत्र–5 के प्रस्तर–3 में एक करोड तक लागत वाले प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति के लिए अधिशासी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है। किन्तु लेखापरीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्राधिकरण में निर्माण कार्यों में इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जो कि आपत्तिजनक है। कार्यों का विवरण निम्नवत है। स्थिति एवं औचित्य स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण में निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित 02 स्तर हैं। 03. अवस्थापना कार्यों में अध्यक्ष/आयुक्त स्तर से। 04. प्राधिकरण की योजनाओं सम्बन्धी स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से उपाध्यक्ष स्तर से। प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी भी अधिकारी को कोई वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं हैं। जहां तक तकनीकी स्वीकृति का प्रश्न हैं प्राधिकरण में उपलब्ध उच्चतम तकनीकी अधिकारी की संस्तुति पर ही कार्यों का प्रस्ताव सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करते हुए ही स्वीकृति प्राप्त की जाती है। सम्परीक्षा दर द्वारा इंगित नियम सम्पूर्ण रूप से तकनीकी विभागों पर ही लागू होता है। अतः संदर्भित प्रकरणों में उपलब्ध उच्चतम तकनीकी अधिकारी की संस्तुति पर ही सक्षम स्तर से ही कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**
18	संस्था द्वारा **surveying and making of rishikesh development area** कार्य के लिए निविदा के माध्यम से **Ce info System Pvt Ltd** को **Consultant** नियुक्त किया गया था। दिनांक 12.06.2012 को हस्ताक्षरित अनुबन्ध की शर्तानुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 06 माह थी। इसके उपरान्त 04 सप्ताह की अवधि विस्तार अनुमन्य किया जा सकता था। तदोपरान्त अवधि विस्तार अगले 03 सप्ताह तक **1%** (अवशेष भुगतान का) प्रति सप्ताह तथा तदोपरान्त **2%** प्रति सप्ताह आर्थिक दण्ड के साथ किया जा सकता था। इसी प्रकार हरिद्वार मास्टर प्लान 2025 का जोनल डेवलपमैन्ट प्लान तैयार करने के लिए न्यूनतम निविदा प्रस्ताव के आधार पर **Feed Back infra privete ltd.** को कन्सलटेन्ट नियुक्त किया गया था। सम्बन्धित अनुबन्ध के अनुसार कार्य आरम्भ की तिथि 01.08.13 थी तथा जोनल प्लान 40 सप्ताह में पूर्ण किया जाना था इसके पश्चात 04 सप्ताह अनुरोध के आधार पर तत्पश्चात् 03 सप्ताह तक **1%** प्रति सप्ताह विलम्ब दण्ड के साथ एवं तत्पश्चात् **2%** प्रतिसप्ताह विलम्ब दण्ड के साथ समय विस्तार किया जाना था। उपलब्ध अभिलेखानुसार उक्त शर्तानुसार कार्यवाही नहीं की गयी एंव सम्बन्धित फर्मों से विलम्ब दण्ड की राशि वसूल की गयी।	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा ऋषिकेश महायोजना–2031 के सर्वे हेतु निविदा के माध्यम से मैसर्स **Ce info System Pvt Ltd dks Consutant** नियुक्त किया गया। इसी प्रकार हरिद्वार महायोजना–2025 का जोनल डेवलेपमैन्ट प्लान तैयार करने हेतु न्यूनतम निविदादाता फर्म मैसर्स **Feed Back Infra Private Ltd.** को नियुक्त किया गया। न्यूनतम प्रस्ताव के आधार पर कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक 01.08.2013 नियत थी। जिसपर विलम्ब शुल्क नहीं लिया गया। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त कार्य नियोजन विभाग के स्तर पर ही निष्पादित कराया गया। जिसपर नियोजन विभाग स्तर पर ही विलम्ब हुआ है। उक्त परिस्थिति में विलम्ब शुल्क लिए जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**
19	–	–

विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी

पंकज पाठक
सहायक अभियन्ता

बीरेन्द्र कुमार
मुख्य वित्त अधिकारी

20	अनुच्छेद–1 (सूचना प्रपत्र) प्राधिकरण द्वारा आतिथि तक ऑनलाईन मैनेजमैन्ट सिस्टम में अपलोड नहीं किया गया है ना ही सम्परीक्षा दल को हार्ड कॉपी ही उपलब्ध करायी गयी है। कृपया प्राथमिकता के आधार पर सूचना प्रपत्र अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण में लागू ऑनलाईन मैनेजमैंट सिस्टम हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार नहीं किया गया है। उक्त सिस्टम केन्द्रीय सिस्टम के अन्तर्गत उडा द्वारा तैयार कराया गया है। उडा द्वारा अनुबन्धित फर्म मैसर्स सोफ्टटैक के माध्यम से जो भी सूचनाये एंव प्रपत्र चाहा गया उसे प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उडा से प्राप्त की जा सकती है। प्राधिकरण द्वारा ऑनलाईन मैनेजमैन्ट सिस्टम का उपयोग दिनांक 01 जुलाई 2017 से किया जा रहा है। **अतः उपरोक्तानुसार आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**
21	आवास अनुभाग–1 लखनउ दिनांक 06.02.1997 शासनादेश संख्या 728/9–आ0–1–97 द्वारा विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित भूखण्डों/भवनों के आवंटियों द्वारा जब हस्तांतरण और रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूटेशन के लिए विकास प्राधिकरण के पास प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जायेगा तो वह, यदि कोई बकाया आदि है तो उसके पूर्व भुगतान की शर्त लगा सकते हैं। विकास प्राधिकरण चाहे तो म्यूटेशन हेतु एक फीस भी निर्धारित कर सकते हैं। जो परिसम्पत्तियों के मूल्य का एक प्रतिशत हो सकता है का प्राविधान किया गया था। विकास प्राधिकरण द्वारा इंद्रलोक कालोनी–1 में आंवटित भूखण्डों/भवनों के आवंटियों द्वारा भूखण्डों/भवनों के म्यूटेशन/नामांकन हेतु 1 प्रतिशत म्यूटेशन फीस ली जा रही थी। विकास प्राधिकरण द्वारा म्यूटेशन/नामांतरण शुल्क लिए जाने से सम्बन्धित बोर्ड प्रस्ताव/स्वीकृति का अनुपलब्ध रहा।	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं की सम्पत्तियो के म्यूटेशन किये जाने के सम्बन्ध में संदर्भित शासनादेश में प्राधिकरण को विकित मूल्य का 01% तक म्यूटेशन फीस लिये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर म्यूटेशन फीस ली जा रही है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निर्गत आदेश संख्या 728 दिनांक 06.02.1997 की प्रति संलग्न है। म्यूटेशन का औचित्य प्राधिकरण योजनाओं में कय–विकय के माध्यम से निवास कर रहे अथवा निवास करने वाले व्यक्तियों की जानकारी रखना तथा यदि योजना के रख–रखाव मद में किसी भी प्रकार की देयता आदि का निर्धारण हो तो सम्बन्धित से उसकी वसूली आदि करने हेतु। **अतः आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है।**

प्रशासनिक अधिकारी

सहायक अभियन्ता

मुख्य वित्त अधिकारी